मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में मारूति उद्योग लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

बनाम

आयकर आयुक्त, दिल्ली 2018 की सिविल अपील संख्या 11923 फरवरी 07, 2020

(अशोक भूषण और नवीन सिन्हा, न्यायाधिपतिगण)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 बी परन्तुक स्वीकार्य धारा 43 'बी' के अंतर्गत अप्रयुक्त MODVAT क्रेडिट के कटौती के संबंध – में अपीलकर्ता निर्धारिती 1944 अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क के लिए ऑटो मोबाइल का निर्माण करता है यह उत्पाद शुल्क योग्य कच्चे माल / इनपुट प्राप्त करता है जिसका MODVAT क्रेडिट का लाभ ले रहा था, मुल्यांकन वर्ष 1999–2000 के अंत में 69,93,00,428 /– रूपए अप्रयुक्त MODVAT को छोड़कर दिया था। निर्धारिती ने धारा 43 बी तथा बिक्री कर वसुली योग्य खाते के संबंध में 3,08,88,171 /– रूपए की कटौती का भी दावा किया निर्धारण अधिकारी ने कटौती के दोनों दावों 1 को अस्वीकृत कर दिया जिसका आयकर आयुक्त आई.टी.ए.टी. द्वारा अपने निर्णय में कायम रखा गया। उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व के पक्ष में अस्वीकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिये गये अभिनिर्धारित किया कि 43 'बी' (A) के तहत कर शुल्क उपकर या शुल्क के माध्यम से निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि पर कटौती की अनुमति है। 1944 के नियमों के अनुसार MODVAT योजना के तहत अपीलार्थी द्वारा अर्जित उत्पाद शुल्क का क्रेडिट निर्धारिती द्वारा कर शुल्क उपकर के रूप में देय राशि नहीं है। धारा 43 बी कटौती की अनुमति देने के लिए है, जब निर्धारिती द्वारा कर शुल्क / उपकर के रूप में देय राशि का भुगतान किया गया है और वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया गया था। वाहनों के निर्माण पर अपीलार्थी पर अधिरोपित उत्पाद शुल्क पर पहले से ही संबंधित मुल्यांकन वर्ष में MODVAT योजना में अप्रयुक्त क्रेडिट का भुगतान की में गई राशि के रूप में वास्तव में नहीं

माना जा सकता है जब निर्धारिती कच्चे माल की लागत का निर्माण करता है, जहां शुल्क अन्न्तनिहित होता है इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यह केवल उत्पाद शुल्क घटना है जो निर्माता से खरीददार को स्थानांतरित हो गया है न कि देयता की अप्रयुक्त MODVAT क्रेडिट योजना की कटौती धारा 43 बी के अंतर्गत नहीं होता है बल्कि धारा 43 बी के परन्तुक से संबंधित होता है।

ऐसी स्थिति में जब किसी राशि का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया हो लेकिन प्रश्नागत वर्ष में उसका भुगतान नहीं किया जा सका हो और विवरणी जमा करने की तारीख से पहले अगले वित्तिय वर्ष में भुगतान किया गया हो। वर्तमान मामले में निर्धारिती के उत्पादन शुल्क का भुगतान करने का दायित्व अगले वर्ष में किया जाता है जो दिनांक 01.04.1999 से शुरू होता है और न्यायालय जिसका संबंध रखता है वह दिनांक 31.03.1999 अप्रयुक्त MODVAT क्रेडिट का कोई और शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। वर्तमान में ऐसा मामला नहीं जहां अपीलार्थी को धारा 43 बी के परन्तुक के लाभ का दावा कर सकता है।

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में दोनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया। केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 केन्द्रीय उत्पाद नियम 1944– rr 57A–57F उत्पाद शुल्क भुगतान करने का वैधानिक उत्तरदायी अपीलार्थी निर्धारिती उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के अंतर्गत ऑटो मोबाइल का – निर्माण करता है। यह उत्पाद शुल्क योग्य कच्चे माल का इनपुट का अधिग्रहण करता है। जिसका उपयोग वाहनों के निर्माण में किया जाता है।

अभिनिर्धारित किया कि उत्पादन शुल्क 1944 के नियमों के अंतर्गत एकत्र किया जाता है। 1944 के नियम 2 (3) के तहत निर्धारिती को परिभाषित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा उपयोग किया गया कच्चे माल तथा इनपुट (आदान) के निर्माणकर्ता 1944 के नियमों के तहत उत्पादन शुल्क हेतु देनदार हैं।

1944 के अधिनियम 1944 के नियमों के योजना के अनुसार दो संस्थाओं के उत्पादन शुल्क का भुगतान करने की देयता निर्धारित नहीं की गयी है।

कच्चे माल एवं इनपुट के निर्माणकर्ताओं के उत्पादन शुल्क भुगतान करने का वैधानिक दायित्व है न कि अपीलार्थी का अदालत ने अपील को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि धारा 43 बी के तहत भिन्न शर्तों को पूरा करने पर कटौती की अनुमति दी जा सकती है। शर्तें निम्नलिखित है:–

(क) उत्पाद शुल्क का वास्तविक भुगतान होना चाहिए चाहे वह कर, शुल्क, उपकर या शुल्क के रूप में किसी भी नाम से हो।

(ख) ऐसा भुगतान तत्काल लागू किसी कानून के तहत होना चाहिए।

(ग) ऐसी राशि का भुगतान निर्धारिती द्वारा किया जाना चाहिए था।

(घ) चाहे वह किसी भी तरीके से किया गया हो। निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन पिछले वर्ष 2020 के लिए आयकर की गणना करते समय कटौती की अनुमति दी जाएगी। जिसमें निर्धारिती द्वारा वास्तव में राशि का भुगतान किया जाता है।

(ङ) ऐसी कोई देय राशि उस राशि को संदर्भित करती है जिसके लिए निर्धारिती ने पिछले वर्ष में दायित्व वहन किया था भले ही ऐसी राशि संबंधित कानून के तहत उस वर्ष के भीतर देय न हो (पैरा 11, 667 F.H. 668 A–B) 1. A धारा 43 'ख' बी में महत्वपूर्ण शब्द शुल्क या उपकर के रूप में निर्धारिती द्वारा देय कोई भी राशि में जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 के तहत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है तथा केन्द्रीय उत्पाद नियम के तहत वसुला जाता है। निर्धारिती जो कि केन्द्रीय उत्पाद नियम 1944 के Rule2 (3) के तहत परिभाषित किया गया उसका प्रभाव इस प्रकार है। कर योग्य घटना उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्माण और शुल्क का भुगतान कारखाना से ऐसी वस्तुओं को हटाने के तारीख के संबंध में शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्माण अपीलकर्ता द्वारा उपयोग किया गया कच्चे माल या inputs के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के तहत उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं उत्पादन शुल्क कच्चे माल और इनपुट के आपूर्तिकर्ता में उत्पादन शुल्क शामिल है। ऐसी वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान उसकी बिक्री चालान में किया जाता है। अपीलकर्ता जब कच्चे माल और वाहनों के निर्माण के लिए इनपुट करता है तो वह एक अलग खाता रखता है जिसमें बिकी चालान में उल्लिखित उत्पादन शुल्क शामिल होता है। अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किये गये उत्पादन शुल्क का क्रेडिट किया जाता है। अपीलकर्ता को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का नियम 1944 के नियम 57A–57F के आधार पर दिया गया है जो उस समय अस्तीत्व में था। उसे अपीलकर्ता MODVAT योजना के अनुसार अर्जित उत्पाद शुल्क के क्रेडिट को समायोजित करके निर्मित वाहनों पर उत्पादन शुल्क का भुगतान करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने का पूरी तरह से हकदार था।

केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद नियमों के अनुसार एक उत्पादन शुल्क का भुगतान करने का दायित्व दो संस्थाओं पर तय नहीं किया जा सकता है। यह कच्चे माल तथा इनपुट निर्माता है जिसका उपयोग अपीलकर्ता द्वारा किया गया है। जिसके पास उत्पादन शुल्क का भुगतान करने का वैधानिक दायित्व है। अपीलकर्ता व संस्थाओं द्वारा निर्मित कच्चे माल और इनपुट के संदर्भ में केन्द्री उत्पाद अधिनियम 1944 अर्थ में निर्धारिती नहीं है। जिससे भुगतान में कच्चे माल और इनपुट को खरीदा था।

1.3 आयकर अधिनियम की धारा 43 बी के अनुसार कर, शुल्क के रूप में निर्धारिती के द्वारा देय किसी भी राशि पर कटौती की अनुमति केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अनुसार एमओडीवीएटी योजना के तहत अपीलार्थी द्वारा अर्जित उत्पाद शुल्क का क्रेडिट निर्धारिती द्वारा कर, शुल्क, उपकर के रूप में देय राशि नहीं है। धारा 43 बी के तहत योजना कटौती की अनुमति देने के लिए है जब निर्धारिती द्वारा कर, शुल्क और उपकर के माध्यम से देय राशि का भुगतान किया जाता है और वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया गया था। इसके अलावा, धारा 43 बी के तहत कटौती केवल तभी स्वीकार्य है जब निर्धारिती द्वारा वास्तव में राशि का भुगतान किया जाता है। वर्तमान मामले में, वाहनों के निर्माण पर अपीलार्थी पर अधिरोपित उत्पाद शुल्क को संबंधित मूल्यांकन वर्ष में एमओडीवीएटी योजना के तहत उत्पाद शुल्क के क्रेडिट से पहले ही समायोजित कर लिया गया था। एमओडीवीएटी योजना में अप्रयुक्त केडिट को अपीलार्थी द्वारा वास्तव में भुगतान की गई। राशि के रूप में नहीं माना जा सकता है जब निर्धारिती कच्चे माल की लागत का भुगतान करता है जहां शुल्क अंतनिर्हित है, तो इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि निर्धारिती वह है जो ऐसे कच्चे माल / निवेश पर

उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यह केवल उत्पाद शुल्क की घटना है जो निर्माता से खरीदार पर स्थानांतरित हो गई है न कि दायित्य एमओडीवीएटी योजना के तहत अप्रयुक्त क्रेडिट आयकर अधिनियम की धारा 43 बी के तहत कटौती के योग्य नहीं है।

1.4 उच्च न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर दिया था और इस संबंध में अपनी चर्चा पर प्रश्न संख्या–1 पर विश्वास किया। अपीलार्थी द्वारा भुगतान किये गये ब्रिकी कर "वसूली योग्य खाता" को एक अलग खाते में डेविड किया था। निधारती तैयार माल यानी वाहनों की विकी पर अपनी देनदारी के खिलाफ विक्री कर निर्धारित कर सकता था। उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में उच्च न्यायालय के विचार में कोई कमी नहीं पायी गयी है। धारा–43 ख के परंतुक में प्रावधान है कि धारा में निहित कुछ भी किसी भी राशि के संबंध में लागु नहीं होगा जो वास्तव में निर्धारती द्वारा पिछले वर्ष के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उसके मामले में लागू नियत तारीख को या उससे पहले भुगतान किया गया हो जिसमें ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व था। धारा–43 बी के परंतुक में महत्वपूर्ण शब्द पिछले वर्ष के संबंध में हैं जिसमें ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया है परंतुक उस स्थिति का ध्यान रखता है कि जब किसी राशि भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया हो लेकिन विचाराधीन वर्ष में इसका भुगतान नहीं किया जा सकता हो और रिटर्न जमा करने की तारीख से पहले अगले वित्तीय वर्ष में इसका भुगतान किया गया हो। वर्तमान मामले में अप्रयुक्त MODVAT को प्रश्नागत वर्ष में समायोजित करने का दायित्व नहीं था।

अपीलार्थी द्वारा वाहन का उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का दायित्व अप्रयुक्त MODVAT क्रेडिट को इस तरह के उत्पाद शुल्क के भुगतान के खिलाफ समायोजित किया जा सकता था। वर्तमान सामले में अपीलार्थी द्वारा वाहन निर्माण पर अप्रयुक्त MODVAT को इस तरह के उत्पाद शुल्क के भुगतान के खिलाफ समायोजित किया जा सकता था वर्तमान मामले में निर्धारती के उत्पादन शुल्क का भुगतान करने का दायित्व अगले वर्ष अर्थात् वर्ष में तैयार माल को हटाने पर लगाया जाता है जो 01.04.1999 से शुरू होता है परंतु यहाँ का न्यायालय का संबंध 31.03.1999 पर अप्रर्युक्त MODVAT कडिट इस तारीख को प्राप्तकर्ता किसी भी उत्पादन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। अतः वर्तमान में अपीलार्थी 43 बी के लाभ का दावा नहीं कर सकता हैं। उच्च न्यायालय ने निर्धारती / अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्व के पक्ष में सही उत्तर दिया।

आयशर मोटर लिमिटेड और एक अन्य वी भारत संघ और अन्य

(1999) 1 एस. सी. आर. 295; कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे और अन्य बनाम ।

दाई इची करकारिया लिमिटेड और अन्य (1999) 7 एस. सी. सी. 448 (1999)

1 पूरक एस. सी. आर 360; बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड बनाम के आयुक्त आयकर 2004 (266) आईटीआर 99 विशिष्ट । लखन पाल नेशनल लिमिटेड बनाम । आई टी ओ (1986) 162 आईटीआर 240– संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(1999) 1 एससीआर 295 प्रतिष्ठित पैरा 19
(1999) 1 पूरक एस सी ओर 360 प्रतिष्ठित पैरा 25
2004 (266) आईटीआर 99 प्रतिष्ठित पैरा 28
(1986) 162 आईटीआर 240 संदर्भित किया गया है। प्रतिष्ठित पैरा 28
सिविल अपीलीय न्यायानिर्णयः सिविल अपील सं. 11923/2018 से
दिल्ली उच्च न्यायालय के 07.12.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश जो I.T.A No. 31 of 2005 से संबंधित हैं।

के साथ 2018 की सिविल अपील संख्या 11924 अरिजीत प्रसाद, एस. गणेश. वरिष्ठ अधिवक्ता एस.ए. हसीब दीक्षा राय, श्रीमती अनिल कटियार, सुश्री कविता झा, सुश्री देविका जैन, अनंत मान, अधिवक्ता उपस्थित दलों के लिए।

न्याय निर्णय दिया गया।

अशोक भूषण जे।

निर्धारिती के द्वारा इन अपीलों के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.12.2017 को जो आयकर अपील नंम्बर– 30/2000 आई.टी.ए नंम्बर–31 / 2005 जो मुल्याकंन वर्ष 1999 तथा आई.टी.आई नंम्बर 442 / 2005 मुल्याकन वर्ष 2001 से संबंधित है को चुनौती दिया गया है। दोनों अपीलों में निधार्रिती के खिलाफ समान प्रश्नों का उत्तर दिया गया था। इन दोनों अपीलों पर निर्णय लेने के लिए मुल्याकनवर्ष 1999–2000 के लिए 2018 के सी. ऐ नंम्बर 11923 के तथ्यों पर ध्यान देना पर्याप्त है। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय द्वारा इस अपील में उठायें गये प्रश्नों पर आयकर अपीलीय न्यायधीकरण के निर्णय की पुष्टि किया है। निर्धारण अधिकारी के साथ–साथ आयकर आयुक्त अपील ने भी अपीलार्थी के दावे को स्वीकार नहीं किया है। अपीलार्थी 1944 के केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत विभिन्न कारों की निर्माण तथा विकी के व्यवसाय में लगी हुयी थीं। विचाराधीन मुल्याकनवर्ष 1999–2000 निर्धारिती मारूती कारों का निर्माण तथा वाहन के कलपुर्जे की व्यापार करती थीं यह उत्पादन शुल्क योग्य कच्चा माल और निवेश प्राप्त कर उसका उपयोग वाहनों के निर्माण में किया जाता था। निर्धारिती कच्चे माल पर MODVAT क्रेडिट का भी लाभ उठा रहा था। मुल्याकनवश 1999–2000 के अंत में रूपया 699300428/– की राशि अपर्युक्त MODVAT क्रेडिट के रूप में छोड़ दिया गया था। इसके ऐवज में कम्पनी के द्वारा धारा–43 बी के तहत स्वीकार्य कटौती की माँग की गयी थीं। इसीतरह कम्पनी के द्वारा धारा–43 बी के तहत रूपया 30888171/– की राशि विक्री कर वसुली योग्य खाते से भी दावा किया गया था।

2. मूल्याकन अधिकारी ने 28.03.2002 दिनांकित मूल्याकंन आदेश पारित किया। निर्धारण अधिकारी ने रूपये 69,93,00,428/– के साथ–साथ रूपया 3,08,99,171/– की कटौती के दाव को अस्वीकार कर दिया। निर्धारण आदेश से व्यथित होकर निर्धारिती ने आयकर आयुक्त के समक्ष अपील दायर की आयकर आयुक्त ने भी उपरोक्त दो वस्तुओं की अस्वीकृति को बरकरार रखा। आई.टी.ए.टी. को की गई एक अपील का भी यही परिणाम हुआ। आई.टी.ए.टी. का विचार था कि उत्पाद शुल्क का अग्रिम भुगतान जो इस तरह के भुगतान के दायित्व को वहन किए बिना अप्रयुक्त MODVAT क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करता है, धारा 43 बी के तहत एक स्वीकार्य कटौती नहीं है। निर्धारिती के द्वारा आयकर अधिनियम 260 ए के तहत उच्च

न्यायालय में अपील किया गया। उच्च न्यायालय ने प्रश्न संख्या–2 और 3 में राजस्व के पक्ष में उत्तर दिया गया। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर आयकर अधिनियम के धारा 260 के तहत अपील दायर किया।

प्रश्न संख्या (ii) और (iii) जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया है, वे निम्नलिखित हैं– प्रभावः

(ii) क्या आई.टी.ए.टी. ने रूपया 69,93,00,428 /– की राशि की अस्वीकृति को बरकरार रखने में कानून की त्रुटि की थी जो उत्पाद शुल्क MODVAT क्रेडिट को प्रतिनिधित्व करती है जो 31.03. 1999 यानि समाप्ति तक अप्रयुक्त रह गयी।

(iii) क्या आई.टी. ए. टी. ने आयकर अधिनियम की धारा 43 बी के तहत बिकी कर वसुली योग्य खाते के संबंध में रूपये 3,08,99171 / की अस्वीकृति को बरकरार रखने में कानून की त्रुटि की है। – हमने अपीलार्थी निर्धारिती के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. गणेश और राजस्व के विद्वान वरिष्ठ

4. वकील श्री अरिजीत प्रसाद को सुना है।

5. श्री गणेश प्रस्तुत करते हैं कि निर्धारिती द्वारा अपने कच्चे माल और निवेश के आपूर्तिकर्ताओं को उत्पाद शुल्क के माध्यम से भुगतान की गई राशि है–

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत उत्पाद शुल्क के रूप में स्वीकार किया गया और इस बात की परवाह किए बिना कि इस तरह के भुगतान से उत्पन्न एमओडीवीएटी क्रेडिट का उपयोग निर्धारती द्वारा निर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जाता है। उच्च न्यायालय के द्वारा यह गलत अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती द्वारा किए गए उपरोक्त भुगतान केवल संविदात्मक भुगतान है और उत्पाद शुल्क के माध्यम से भुगतान नहीं हैं। जैसे ही अपीलार्थी के कारखाने में कच्चा माल और निवेश प्राप्त होता है, निर्धारती कच्चे माल और निवेश पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के संबंध में एमओडीवीएटी क्रेडिट का लाभ उठाने का हकदार धारा 43 बी के तहत हो जाता है और जिसका उल्लेख निर्माता– आपूर्तिकर्ता के चालान में किया गया है। निर्धारती स्पष्ट रूप से 31.03.1999 पर अप्रयुक्त एम.ओ. डी. वी. ए. टी. क्रेडिट शेष की कटौती का हकदार था।

6. श्री गणेश वैकल्पिक रूप से यह भी प्रस्तुत करते हैं कि प्रश्न स्पष्ट रूप से धारा 43 ख के पहले परंतुक द्वारा निर्धारती के पक्ष में आता है। निर्धारती के उत्पाद शुल्क विवरणी से पता चलता है कि 31.03. 1999 तक अप्रयुक्त एमओडीवीएटी क्रेडिट रूपया 69.30 करोड़, पूरी राधि का उपयोग अप्रैल, 1999 में ही किया गया था। नतीजतन, निर्धारती धारा 43 बी के पहले परंतुक के तहत कटौती का हकदार है। अधिनियम की धारा 43 बी के पहले परंतुक के तहत कटौती का हकदार है। अधिनियम की धारा 43 बी का उद्देश्य और प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि किसी राशि के संबंध में कटौती जब तक सरकार द्वारा राशि प्राप्त नहीं की जाता है निर्धारिती को लाभ न मिले। वर्तमान मामल में उत्पाद शुल्क की पूरी राशि का भुगतान सरकार के खजाने में किया जाता था जब कच्चे माल / आदानों के निर्माता ने

निर्धारती को आपूर्ति के लिए अपने कारखाने के द्वार से इसे हटा दिया था। धारा 43 ख का मूल उद्देश्य अधिनियम के अधीने है तथा निर्धारती के दावे के अनुसार कटौती होनी चाहिए और कटौती निर्धारती द्वारा किए गये दावे के अनुसार दी जानी चाहिए थीं।

7. राजस्व के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरिजीत प्रसाद ने निर्धारती के विद्वान वकील की दलीलों का खंडन करते हुये तर्क किया कि धारा 43 बी के तहत कटौती केवल तभी स्वीकार्य है जब कर उपकर आदि की राशि देय और निर्धारती वास्तव में उसी का भुगतान करता है। वर्तमान मामले में उत्पाद शुल्क देय हो जाता है और केवल तभी देय होता है जब निर्धारती कारखाने से तैयार उत्पाद को हटा देता है तथापि उस समय जब निर्धारती कारखाने से तैयार उत्पाद को हटा देता है तथापि उस समय जब निर्धारती आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करता है तो उत्पाद शुल्क देय और देय नहीं होता है। इसमें कोई विवाद नहीं है. कि उसके द्वारा निर्मित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का दायित्व केवल उत्पाद शुल्क वाले सामान के निर्माण पर है। निर्धारती वह नहीं है जो

कच्चे माल / निवेश पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो। यह केवल उत्पाद शुल्क की घटना है जो निर्माता से खरीदार के पास स्थानांतरित हो गयी है न कि
उसी का भुगतान करने का दायित्व ।

धारा 43 बी के प्रावधान के आधार पर निर्धारती के लिए अधिवक्ता के बहस का जवाब देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का दायित्व निर्धारती पर बाद के वर्ष में तैयार माल को हटाने पर खर्च किया जाता है. इसलिए 31.03.1999 पर निर्धारती उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था और इसलिए. परंतुक भी निर्धारती की सहायता के लिए नहीं आएगा।

8. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

9. जिन दो मुद्दों का हमें जवाब देने की आवश्यकता है ये हैं.

i. क्या आई. टी. ए.टी ने इसे बनाए रखने में कानून की त्रुटि की थीं। रूपया 69,93,00,428 /– की राशि की अस्वीकृति जो उत्पाद शुल्क के एम.ओ.डी.सी.ए.टी. क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करता है जो 31 मार्च 1999 तक अप्रयुक्त, अर्थात संबंधित अधिनियम के अंत तक लेखा वर्ष

ii. क्या आई.टी.ए.टी. ने बिक्री कर के संबंध में रूपये 3,08,99,171/– की अस्वीकृति को बरकरार रखने में कानून की त्रुटि की है जो–

– आयकर अधिनियम की धारा 43 बी के तहत वसूली योग्य खाता से संबंधित है।

10. हमें पहले यह देखने की आवश्यकता है कि धारा 43 बी के प्रावधानों के तहत कटौती का दावा क्या है धारा 43 ख निम्नलिखित है:

43 बी निश्चित कटौती केवल वास्तविक भुगतान पर होगी। इसके किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद अधिनियम इस अधिनियम के तहत अन्यथा स्वीकार्य कटौती में से
क. निर्धारिती द्वारा उस समय के लिए किसी भी कानून के तहत कर, शुल्क, उपकर या शुल्क के रूप में देय कोई भी राशि, चाले वह किसी भी नाम से जानी जाए।
ख. किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में योगदान के रूप में नियोक्ता के रूप में निर्धारती द्वारा देय कोई राशि या

ग. धारा की उप–धारा (1) के (ii) में निर्दिष्ठ कोई राशि ।

घ. निर्धारिती द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक निवेश से किसी भी श्रण या उधार पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि।

ङ. निगम के नियमों और शर्तों के अनुसार ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाला समझौता, या किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी भी ऋण या अग्रिम पर ब्यान के रूप में निर्धारिती द्वारा देय कोई राशि प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अलावा या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास के नियमों और शर्तो के अनुसार ऐसे ऋण या अग्रिमों को नियंत्रित करने वाला समझौता, या नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा देय कोई राशि उसके कर्मचारी के खाते में कोई छुट्टी, या

च. निर्धारिती द्वारा भारतीय रेलवे को देय कोई राशि रेलवे परिसंपतियों का उपयोग अनुमति दी जाएगी (पिछले वर्ष की परवाह किए बिना जिसमें ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व निर्धारिती द्वारा वहन किया गया था। नियमित रूप से नियोजिक लेखांकन की विधि के अनुसार उसके द्वारा) केवल धारा 28 में निर्दिष्ठ आय की गणना करने में उस पिछले वर्ष का जिसमें ऐसी राशि का वास्तव में भुगतान किया जाता है उनके द्वारा बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा किसी भी राशि के संबंध में जो वास्तव में निर्धारिती द्वारा भुगतान की जाती है या प्रस्तुत करने के लिए उसके मामले में लागू नियत तारीख से पहले पारा 139 की उप–धारा (1) के तहत आय की वापसी पिछले वर्ष के संबंध में जिसमें ऐसा भुगतान करने का दायित्व है राशि उपरोक्त रूप में खर्च की गई थीं और इस तरह के साक्ष्य इस तरह के विवरणी के साथ निर्धारिती द्वारा भुगतान प्रस्तुत किया जाता है।

11. निर्धारिती पर अप्रयुक्त MODVAT क्रेडिट दिनांक 31.03.1999 तक 69,93,00,428 / था। निर्धारती के खाते में कच्चे माल औन इनपुन पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के कारण जमा किया गया था जो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उसे आपूर्ति की गई थी और चालान में परिलक्षित होती थी जिसके द्वारा कच्चे माल और इनपुट का भुगतान किया जाता था। इस तथ्य से कोई इंकार नहीं है कि अपीलकर्ता उत्पाद शुल्क के भुगतान में इस क्रेडिट का उपयोग करने का हकदार था, जिसके लिए निर्धारती अपने उत्पादों के निर्माण पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था जब हम अधिनियम की धारा 43 बी के प्रावधान का विश्लेषण करते हैं तो प्रावधान इंगित करता है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर इसके तहत कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए:

क. उत्पाद शुल्क का वास्तविक भुगतान होना चाहितए कि जैसे कर, शुल्क, उपकर या शुल्क के रूप में, चाहे कोई भी नाम हो ।

ख. ऐसा भुगतान किसी भी कानून के तहत होना चाहिए।

ग. ऐसी राशि का भुगतान इसके द्वारा किया जाना चाहतए था। निर्धारती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन के तरीके की परवाह किए बिना, पिछले

घ. वर्ष के लिए आयकर की गणना करते समय कटौती की अनुमति दी जाएगी जिसमें वास्तव में राशि निर्धारती द्वारा भुगतान किया गया। अभिव्यक्ति ऐसी कोई देय राशि के लिए एक राशि को संदर्भित करता है।

ड. जिसे निर्धारती ने पिछले वर्ष में भी वहन किया था यद्यपि ऐसी राशि संबंधित कानून के तहत वर्ष के भीतर देय नहीं हो सकती थी।

12. धारा 43 बी के तहत कटौती की अनुमति देने के लिए उपरोक्त वैद्यानिक शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। हमें यह पता लगाने के लिए वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करती होगी कि क्या धारा 43 बी के तहत अनुमेय कटौती के लिए आवश्यक सभी शर्तें यहां मौजूद हैं या नहीं।

13. धारा 43 बी (ए) में महत्वपूर्ण शब्द कर, शुल्क, उपकर या शुल्क के रूप में निर्धारती द्वारा देय कोई भी राशि "हैं। हमें इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या एमओडीवीएटी योजना के तहत अप्रयुक्त ऋण देय राशि थीं।

14. उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत लगाया जाता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अनुसार एकत्र किया जाता है। निर्धारती में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के संदर्भ में नियम 2 (3) में निर्धारित परिभाषित है जो निम्नलिखित प्रभाव हैं:
नियम 2 (3) । निर्धारिती का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो उत्तरदायी है। नि रित शुल्क के भुगतान के लिए और इसमें कोई भी उत्पादक भी शामिल है या उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माता या एक निजी गोदाम का एक पंजीकृत व्यक्ति जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को संग्रहीत किया जाता है:

15. कर योग्य घटना उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं का निर्माण और उत्पादन है और शुल्क का भुगतान इस तरह की वस्तुओं को कारखाने से हटाने की तारीख से संबंधित है। अपीलार्थी द्वारा उपयोग किए गए कच्चे माल या आदानों का निर्माण केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अर्थ के भीतर उत्पाद शुल्क थाली वस्तुएं हैं। उत्पाद शुल्क कच्चे माल और निवेश के निर्माता पर लगाया जाता है। कच्चे माल या इनपुट के आपूर्तिकर्ता के बिक्री चालान में ऐस वस्तुओं पर भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क शामिल होता है। अपीलकर्ता जब वाहनों के निर्माण के लिए कच्चा माल और इनपुट खरीदता है तो वह एक अलग खाता रखता है जिसमें बिकी चालान में उल्लिखित उत्पाद शुल्क होता है। अपीलार्थी द्वारा भुगतान किए गए ऐसी उत्पाद शुल्क का श्रेय अपीलार्थी को केंद्रीय शुल्क नियम, 1944 के नियम 57 ए से 57 एफ के आधार पर दिया जाता है, जो उस समय मौजूद था।
अपीलार्थी एक.ओ.डी.वी.ए.टी. योजना के अनुसार उसके द्वारा अर्जित उत्पाद शुल्क के क्रेडिट को समायोजित करके निर्मित वाहनों पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने का पूरी तरह से हकदार था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों की योजना के अनुसार दो संस्थाओं पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का दायित्व निर्धारित नहीं किया गया है। यह कच्चे माल और निवेश का निर्माता है जिसका उपयोग अपीलार्थी द्वारा किया जाता है, जिसके पास उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का वैद्यानिक दायित्व होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1994 के अनुसार योजना कर, शुल्क, उपकर के रूप में निर्धारती द्वारा देय राशि नहीं है।

16. धारा 43 बी के तहत योजना कटौती की अनुमति देने के लिए है जब निर्धारिती द्वारा कर, शुल्क और उपकर के माध्यम से देय राशि का भुगतान किया जाता है और वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया गया था।

17. इसके अलावा, धारा 43 बी के तहत कटौती केवल तभी स्वकार्य है जब निर्धारती द्वारा वास्तव में राशि का भुगतान किया जाता है वर्तमान मामले में वाहनों के निर्माण पर अपीलार्थी पर अधिरोपित उत्पाद शुल्क को संबंधित निर्धारण वर्ष में एमओडीवीएटी योजना के तहत उत्पाद शुल्क के क्रेडिट से पहले ही

समायोजित कर लिया गया था। एमओडीवीएटी योजना में अप्रयुक्त क्रेडिट को अपीलार्थी द्वारा वास्तव में भुगतान की गयई राशि के रूप में नहीं माना जा सकता है। निर्धारिती जब कच्चे माल की लागत का भुगतान करता है जहां शुल्क अन्तनिर्हित होता है। इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि निर्धारती वह है जो ऐसे कच्चे माल / निवेश पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यह केवल उत्पाद शुल्क की घटना है जो निर्माता से खरीदार के पास स्थानांतरित हो गयी है न कि उसके लिए दायित्व का स्थानांतरण होता है।

18. इस प्रकार हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते है कि एमओडीबीएटी योजना के तहत अप्रयुक्त क्रेडिट आयकर अधिनियम की धारा 43 बी के तहत कटौती के योग्य नहीं है।

19. श्री गणेश ने आयशर मोटर्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1999 में इस में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

<u>सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट</u>

20. आयशर मोटर्स लिमिटेड और एक अन्य में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 57 एफ को लागू करके संशोधित योजना की वैधता पर विचार किया जा रहा था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 की धारा 57 एफ (4ए) के अनुसार, क्रेडिट जो निर्माताओं के पास 16.03.1995 पर अप्रयुक्त पड़ा था, समाप्त हो गया था. नियम 57–एफ (4ए) को निर्णय के पैराग्राफ 2 में निकाला गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:–

" 2. संबंधित नियम इस प्रकार है:

" 57– एफ. (4ए) नियम 57– ए के उप–नियम (4) या उप–नियम (1) और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं में कुछ भी निहित होने के बावजूद, निर्दिष्ट शुल्क का कोई भी क्रेडिट अप्रयुक्त पड़ा हुआ है। 16 मार्च, 1995 को एक निर्माता के साथ ट्रैक्टर, जो शीर्ष संख्या 87.04 या चेसिस के अंतर्गत आता है हेडिंग न के तहत ऐसे ट्रैक्टर या ऐसे मोटर वाहन 87.06 केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची समाप्त हो जाएगी और किसी भी उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए इसका घरेलु उपयोग या निर्यात के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह स्वीकृत हो। बशर्ते कि इस उप–नियम में निहित कुछ भी शुल्क के जमा पर लागू नहीं होगा, यदि कोई हो। स्टॉक में पड़े या तैयार उत्पादों में निहित 16 मार्च का छठा दिन, 1995" ।

21. इस न्यायालय ने 57– एफ. (4ए) के संदर्भ में यह विचार रखा कि क्रेडिट का अधिकार किसी भी दर पर निरपेक्ष हो गया था जब निवेश का उपयोग अंतिम उत्पादों के निर्माण में किया जाता है इस अदालत ने कहा कि जिस योजना को लागू करने की मांग की गयई हैं, उसे उन वस्तुओं पर लागू नहीं किया जा सकता है जो पहले से ही अस्तित्व में आ चुकी हैं, जिनके संबंध में पहले की योजना लागू की गई थीं। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 5 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं.

"जैसा कि हमारे द्वारा बताया गया है कि उपलब्ध नियमों के आधार पर कुछ संबंधित कार्य पक्षों द्वारा किए गए हैं, उसके बाद की घटनाएँ होनी चाहिए उस योजना के अनुसार जिसके तहत शुल्क लगाया गया था निर्मित उत्पादों पर भुगतान किया जाता है और यदि ऐसी स्थिति है। परिवर्तित किए जाने की मांग की गयी, अनिवार्य रूप से यह इस प्रकार है कि अधिकार, जो एक पक्ष को अर्जित किया गया था जैसे कि एक योजना की उपलब्धता, प्रभावित होती है और विशेष रूप से, यह इस तथ्य की दृष्टि खो देता है। ऋण सुविधा का प्रावधान उतन ही अच्छा है जितना कर का भुगतान किया जाता है। कई के आधार पर भविष्य की वस्तुओं पर समायोजित निर्धारिती द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ उन वस्तुओं पर लागू नहीं किया जा सकता है जो पहले से ही थे जिसके संबंध में पूर्ववर्त योजना अस्तित्व में आई लागू किया गया था जिसके तहत निर्धारिती ने लाभ उठाया था। इसके आधार पर पहले की योजना अनिवार्य रूपसे

करों को समायोजित करना होगा और भुगतान पुरा किया गया। किसी भी तरीके या तरके से उक्त नियम के लागू होने से निर्धारिती के अधिकार प्रभावित होंगे।

22. उपरोक्त पैराग्राफ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के 57–एफ (4ए) के संदर्भ में कहा गया. है कि ऋण की सुविधा भविष्य की वस्तुओं पर कर समायोजित होने तक भुगतान किए गए कर के बराबर है।

23. उपरोक्त अवलोकन का अर्थ यह नहीं समझा जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान जो बिकी चालान का घटक था। अपीलार्थी द्वारा कच्चे माल / निवेश की खरीद भी कच्चे माल / निवेश पर उत्पाद शुल्क का भुगतान है।

24. बिकी चालान शामिल उत्पादन शुल्क के घटक के भुगतान से यह लाभ मिलता है जो–जो अपीलार्थी उत्पाद शुल्क के घटक के भुगतान का लाभ विकी चालान का यह लाभ मिलता है जो अपीलार्थी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 57 ए से 57–1 की वैधानिक योजना में परिकल्पित ऋण के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त निर्णय किसी भी तरह से वर्तमान मामले के प्रयोजनों के लिए अपीलार्थी की प्रस्तुतियों का समर्थन नहीं करता है।

25. श्री गणेश ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे के कलेक्टर और अन्य बनाम दाई इची करकरिया लिमिटेड और अन्य के पर विश्वास किया है। (1999) 7 एससीसी 448 उपरोक्त मामले में इस न्यायालय को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 पर विचार करने का अवसर मिला था. जो एमओडीवीएटी योजना द्वारा कवर किए गए कच्चे माल के मूल्यांकन का प्रावधान करता है। नियम नियम 57–ए (1) और नियम 57– एफ (1) का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 18, 19 और 20 में निम्नलिखित निर्धारित किया:

"18. इन नियमों से, जैसा कि हम उन्हें पढ़ते हैं, यह स्पष्ट है कि निर्माता कच्चे माल पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के लिए केडिट प्राप्त करता है जो उसके द्वारा सामग्री का उपयोग किया जाता हैं तथा इसका तुरंत आवश्यक घोषणा करता है और इसकी स्वीकृति प्राप्त करता है। उसके बाद किसी भी समय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के बाद क्रेडिट का उपयोग करने का अधिकार होता है।

19. इस प्रकार इस न्यायालय के द्वारा आइशर मोटर बनाम युनियन ऑफ इंडिया ने यह कहा गया कि MODVAT योजना के अंतर्गत क्रेडिट कर के ही समान है।

20. हमें ध्यान में रखते हुये इब यह निर्धारित करना है कि मूल्यांकन नियम के नियम 6 तथा इस एक्ट के धारा 4 (1) (b) के तहत कच्चे माल पर भुगतान किया गया उत्पादन शूल्क इसका हिस्सा होना चाहिए कि नहीं।

26. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने लागत निर्धारित करने में यह माना कि मूल्याकंन नियमों के नियम 6 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 4 (1) बी के MODVAT योजना द्वारा आक्षादित किए गए उत्पादन शुल्क योजना उसके उत्पाद में MODVAT योजना के अंतर्गत आने वाले कच्चे माल पर भुगतान

किया गया उत्पाद शुल्क शामिल नहीं किया जाएगा। उपरोक्त मामले में जिस प्रश्न का उत्तर दिया गया वह वर्तमान मामले में उठे प्रश्न से बिल्कुल अलग था।

27. जैसा कि उपरोक्त मामले में उपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि कच्चे माल के लिए भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के लिए क्रेडिट का उपयोग किसी भी समय उत्पाद शुल्क का भुगतान करते समय किया जा सकता है। इस तरह के क्रेडिट का उपयोगकर्ता उत्पाद शुल्क के भुगतान के समय होता है, यानी उस समय जब अपीलार्थी को अपने निर्मित वाहन पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होता है।

28. बर्जर पेंटस इंडिया लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त 2004 (266) आई. टी. आर. 99 का इस अदालत के फैसले को उल्लेख किया गया है। उपरोक्त मामले में निर्धारित कम्पनी ने दावा किया कि आयकर अधिनियम की धारा 43 बी के तहत संबंधित पिछले वर्षों के दौरान वास्तव में भुगतान किये गये शुल्कों के रूप में पुरी राशि की कटौती का हकदार था विचाराधीन वर्ष में अपीलार्थी ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के कारण कुल रुपया 5,85,87,181 / का व्यय किया था, जो संबंधित पिछले वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और – हानि खाते में डेबिट किए गए शुल्क थे। कंपनी ने मूल्याकंन प्रक्रिया में यह दावा कि यह संबंधित वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान किए गए शुल्कों के रूप में रूपया 5,85,87,181 /– की पुरी राशि में कटौती करने का हकदार था. स्वीकार कर लिया गया। आयकर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 263 के तहत कार्यवाही शुरू करते हुए दावा किया कि मूल्याकन अधिकारी ने कटौती के दावे को गलत तरीके से स्वीकार किया था। आयुक्त ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी ने लखन पाल नेशनल लिमिटेड बनाम आई.टी.ओ. (1986) 162 आई.टी.आर.240. आई.टी.ए.टी. में भी गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर गलत तरके से भरोसा किया। आई.टी.ए.टी. ने एक प्रश्न मंतव्य हेतु उच्च न्यायालय को भेजा। उच्च न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में सवाल का जवाब दिया जिसके खिलाफ अपील दायर की गयी थीं।

इस न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया गया है:–

" निर्धारण वर्ष 1984–85 की निर्धारण कार्यवाही में निरीक्षण सहायक आय कर आयुक्त ने अपीलकर्ता निर्धारिती के इस दाव की अनुमति दी कि वह निर्धारण वर्ष से पहले प्रासंगिक वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान किए गए शुल्कों के रूप में 5,8587181 /– की पूरी राशि की कटौती करने का हकदार था।

" आयकर आयुक्त ने आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत इस आधार पर कार्यवाही की कि निर्धारण अधिकारी ने 5.8587181 की राशि की कटौती के लिए दावे की गलत अनुमति दी गई रूपया 98,25,833/– पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किए गए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए, लेकिन धारा 43 बी के प्रावधानों के तहत माल के स्टॉक को बंद करने में लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है। निर्धारती ने लखनपाल बनामआई. टी.ओ (1986) में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। आयकर आयुक्त ने गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को इस केश के तथ्य से अलग पाया तथा धारा 263 के तहत निर्धारिती के दावों को नकार दिया। निर्धारिती के द्वारा न्यायधिकरण में अपील किया गया परंतु न्यायाधिकरण के द्वारा आयकर आयुक्त के निर्णयों को सम्पुष्ट किया गया। निर्धारिती / अपीलकर्ता के आवेदन धारा 356 (1) के अंतर्गत इन बिंदुओं पर उच्च न्यायालय के मंतव्य को भेजा गया "क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में न्यायाधिकरण ने निर्धारिती की याचिकाओं को अस्वीकार करने में कानूनी रूप से सही था

कि उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की कटौती का दावा रूपया 98,25,833 / – खाते के वर्ष में भुगतान किया गया और लाभ और हानि खाते में इस आधार पर डेबिट किया गया कि समापन स्टॉक के मूल्य से लाभ और हानि खाते में जमा करने का, जिसमें उपरोक्त शुल्क शामिल थे, लाभ और हानि खाते में डेबिट को समाप्त करने का प्रभाव नहीं पड़ा। उच्च न्यायालय ने अपने न्याया निर्णय जो कि आई टी आर नम्बर 213 वर्ष 1993 दिनांक 24 / 2001 को राजस्व के पक्ष में तथा निर्धारती के विपक्ष में दिया था।

29. इस न्यायालय के द्वारा बर्जर पेंट केश में निर्धारिणी अधिकारी के मतव्य को सही कहा गया तथा अभियर्थी के पक्ष में उत्तर दिया गया। इस न्यायालय ने माना कि आयकर आयुक्त ने लखनपाल के निर्णय के गलत ढंग से अलग किया है।

30. उपरोक्त वर्णित बाद में अभियर्थी का विगत वर्ष में 58587181 कुल शुल्क भुगतान करने से संबंधित है। उपरोक्त अप्रर्युक्त MODVAT क्रेडिट का मामला नहीं था इसलिए उक्त मामले में अप्रयुक्त MODVAT क्रेडिट के संबंध में धारा 43 बी के तहत स्वीकार्य कटौती के संबंध में कोई अनुपात निर्धारित करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

31. अब दूसरे प्रश्न पर आते हुए अर्थात् बिकी कर वसूली योग्य राशि के संबंध में रूपये 3,08,79,171 / की अस्वीकृति के संबंध में उच्च न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 52 में उपरोक्त संदर्भ में प्रासंगित तथ्यों को निम्नलिखित शब्दों में देखा है

तथ्य यह है कि निर्धारिती इस पर कच्चे माल और उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों की खरीद पर बिक्री कर का भुगतान करता है जिससे गाड़ियों का निर्माण होता है। हालांकि, भुगतान किया गया बिक्री कर कच्चे माल की लागत का हिस्सा है, निर्धारिती बिक्री कर के खरीद शुद्ध को डेबिट करता है, भुगतान किया गया बिकी कर बिकी कर वसूली योग्य ए / सी शीर्षक वाले एक अलग खाते में डेबिट किया जाता है। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1973 के तहत, निर्धारिती ने तैयार माल यानी कारों की बिक्री पर अपनी देनदारी के खिलाफ इस तरह की बिक्री कर निर्धारित किया। जब भी माल बेचा जाता है, तो ऐसी बिक्री पर कर उपरोक्त खाते में जमा किया जाता है.

32. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रश्न नंम्बर–1 का उत्तर सही दिया है। अपीलार्थी / निर्धारिती द्वारा दिया गया बिक्री कर (वसूली योग्य) खाता शीर्षक में डेविट किया जाता था। निर्धारिती तैयार माल यानी वाहनों की बिक्री पर अपनी देनदारी के खिलाफ बिक्री कर निर्धारित कर सकता था। हम उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने वाले उच्च न्यायालय के विचार में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।

33. अगला निवेदन जो श्री गणेश द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह धारा 43 बी के पहले परंतुक पर है। यह प्रस्तुत किया गया है कि रिटर्न विचाराधीन मुल्यांकन वर्ष के लिए 30.09.1999 से पहले दाखिल किया जाना था और अप्रयुक्त क्रेडिट का वास्तव में 30.04.1999 द्वारा ही पूरी तरह से उपयोग किया गया था। यह भी बहस किया गया है कि चूंकि अप्रयुक्त क्रेडिट का उपयोग निर्मित वाहनों पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए किया गया था, इसलिए उक्त राशि को धारा 43 बी के तहत अनुमेय कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए थी।

34. धारा 43 बी में निहित कोई भी राशि के संबंध में लागु नहीं होगी जो निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष के संबंध में रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए उसके मामले में लागु देय तिथि या उससे पहले भुगतान करने का दायित्व था। धारा 43 बी के परंतुक में महत्वपूर्ण शब्द पिछले वर्ष के संबंध में जिसमें ऐसी राशि का भुगतान

करने का दायित्व वहन किया गया था। परंतुक उस स्थिति का ध्यान रखता है जब किसी राशि का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया है, लेकिन विचाराधीन वर्ष में इसका भुगतान नहीं किया जा सका है और इसे जमा करने की तारीख से पहले अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया है। वर्तमान मामले में प्रश्नगत वर्ष में अप्रयुक्त MODVAT क्रेडिट को सम्मलित करने का दायित्व नहीं था क्योंकि वाहनों के निर्माण अपीलकर्ता द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का दायित्व है। अप्रयुक्त MODVAT क्रेडिट को ऐसे भुगतान के विरूद्ध समायोजित किया जा सकता था। वर्तमान मामले में निर्धारिती के उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का दायित्व अगले वर्ष में तैयार माल को हटाने पर होता है यानि 1.04.1999 से शुरू होने वाले वर्ष और हम जिस चीज पर विचार कर रहे हैं वह 31.03.1999 को

अप्रर्युक्त MODVAT क्रेडिट जिस तारीख को निर्धारती किसी भी उत्पादन शुल्क भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। वर्तमान में ऐसा मामला नहीं है। जहाँ अपीलकर्ता धारा 43 बी के परंतुक के लाभ का दावा कर सकता है। धारा 43 बी परंतुक प्रावधान पर श्री गणेश की दलीलें भी उनके दावे का समर्थन नहीं करती हैं।

35. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने निर्धारिती / अपीलकर्ता के खिलाफ तथा राजस्व के पक्ष में दोनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया है परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है।

सुनील कुमार द्वितीय